

श्रीठासीन अधिकारी अवकाश/द्वारे
परिचय पत्र धारे हैं। पत्रावली उन
समक्ष दि. ०५/०५/२३ को पेश है।

०५/०५/२३ आम पत्रावली द्वारा समक्ष पेश की गयी।
वादी के वकील उपस्थित हैं। वादी के वकील
वाद-पत्र को NOT प्रेस करते हैं। वादी
के वकील द्वारा वाद पत्र को NOT प्रेस
करने के कारण वाद-पत्र स्वार्थिक किया
जाता है। वाद-पत्र नम्बर से कम होकर
कारिगल दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०

6.

7.

8.

श्रीमा

1.

एक

के

2.